संख्या-06/2019/473/71-4-2019-एन-2/2019

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर,
शैक्षणिक संस्थान, नोएडा।

चिकित्स शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनॉक 12 अप्रैल, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा के कार्मिकों के वेतन एवं गैर वेतन हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विष्यक अपने पत्र संख्या-एस0एस0पी0एच0एन0पी0जी0टी0आई0/वित्त/2019/03, दिनांक 05.04.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्साल एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा को उनके सम्मुख अंकित 31-सहायता-अनुदान सामान्य (वेतन) एवं 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद के अंतर्गत कुल धनराशि रू० 6118.00 लाख (रूपया इकसठ करोड अट्ठारह लाख मात्र) अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

1	सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्साल एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा		
	राजस्व	-31सहायता(वेतन) अनुदान सामान्य-	4368.00
		-20सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	1750.00
		योग	6118.00

1. वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक दिनांक 22.03.2019 के प्रस्तर-2(3) में उल्लिखित प्राविधानानुसार विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि यदि अवशेष है, तो इसका पहले समायोजन करने के उपरान्त ही उक्त् स्वीकृत धनराशि का उपयोग किया जायेगा तथा समायोजन का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि पी०एल०ए०/डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।
3. स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जाएगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगीं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
5. गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत धनराशि तथा वर्तमान में स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा, इसके आभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।
6. धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जाएगा एवं बिलो पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जाएगे।

3- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किए गए अधिकारों के अधीन निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव

संख्या:-06/2019/473(1)/71-4-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, नोएडा ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्साल एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in